पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 23, अंक 2/2022

शहरी निकायों की बेहतर कार्य कुशलता के लिए नगरपालिका नियामक आवश्यक

'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा आस्ट्रेलियन हाईकमीशन के सहयोग से 01 जून, 2022 को जयपुर में शहरी निकायों के वित्तीय प्रबंधन पर क्षमतावर्धन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में शहरी निकायों के वित्तीय क्षमतावर्धन हेतु विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए, जिनमें मुख्यतः बेहतर कार्य कुशलता के लिए नगरपालिका नियामक की स्थापना, म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करना, सरकारी संस्थाओं से ऋण लेना, प्रोपर्टी टैक्स, प्रोपर्टी के पंजीयन, विज्ञापन एवं होर्डिंग्स के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करना आदि शामिल है।

कार्यक्रम में वासुदेवन सुरेश, पूर्व सी.एम.डी, हुडको ने बताया कि शहरों में जिस तरह से विकास की जरूरत है, उस तरह से वित्तीय सहायता शहरी निकायों के पास उपलब्ध नहीं हो पाती है। हालांकि भारत सरकार के सहयोग से अमृत मिशन व स्मार्ट सिटी जैसी कई बड़ी परियोजनाएं शहरों के विकास के लिए संचालित की जा रही है, लेकिन जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है, उस गति से शहरों में विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों के पास वित्तीय एकत्रीकरण के तरीकों में सबसे बड़ा माध्यम प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन से प्राप्त धनराशि हो सकती है। जबकि वर्तमान समय में यह राशि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जा रही है।

कार्यक्रम में भरतपुर नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार ने बताया कि शहरी निकायों में नगर परिषद्/नगर निगम में चयनित जन प्रतिनिधियों के पास जिम्मेदारी तो बहुत है, लेकिन पर्याप्त अधिकार नहीं होने से जन प्रतिनिधि इच्छा रखते हुए भी शहरी विकास के काम नहीं कर पाते हैं। शहरी निकायों में कार्यरत संस्थाओं को शहर के विकास हेतु कई सरकारी संस्थाओं से ऋण भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों की बेहतर कार्य कुशलता हेतु नगरपालिका नियामक की स्थापना आवश्यक है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' ने कहा कि बढ़ते हुए शहरीकरण के प्रभाव से आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रति वर्ष करीब 24 प्रतिशत ग्रामीण शहरों की ओर पलायन करते हैं। भारत के बाहर के देशों में शहरी निकायों के महापौर को बहुत अधिक शक्तियां/अधिकार प्राप्त हैं। शहरी निकायों में कार्यरत संस्थाओं के पास वित्तीय व्यवस्था एवं पर्याप्त बजट नहीं होने से बहुत से विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। शहरी निकाय म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करके भी वित्तीय व्यवस्था कर सकते हैं।

कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) के आयुक्त महेन्द्र सोनी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी बड़ी निष्ठा के साथ कार्य को अंजाम देते हैं। वे सभी शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, लेकिन जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। इसके लिए जनता के व्यवहार में भी बदलाव आना जरूरी है। उन्होंने बताया कि शहरी विकास सब चाहते हैं लेकिन लोग यूजर चार्ज नहीं देना चाहते हैं।

कार्यक्रम के प्रारम्भिक उद्बोधन में 'कट्स' के अमरदीप सिंह, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी ने प्रतिभागियों को बताया कि शहरी निकायों का किस तरह से वित्तीय प्रबंधन पर क्षमतावर्धन किया जाए, इस विषय पर आस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सहयोग से गतिविधियों का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह की क्षमतावर्धन गतिविधियां राजस्थान के विभिन्न जिलों में भी आयोजित की जाएंगी।

डॉ. हिमानी, सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन, स्वायत शासन विभाग ने बताया कि शहरी निकायों की क्षमतावर्धन के लिए 'कट्स' के साथ लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट समन्वय से कार्य कर रहा है। भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफैरेल ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से 'कट्स' द्वारा की जा रही शहरी निकायों की वित्तीय प्रबंधन क्षमतावर्धन परियोजना हेतु शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम में 50 से अधिक विकास समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस अंक में...

- किसानों की कर्ज माफी में भी घपला 3
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी 6
- आपका हक डकार रहीं बिजली कंपनियां 8
- जल शुल्क माफी योजना का मजाक 9
- महिलाओं को मिलेंगे मुफ्त स्मार्ट फोन 10

विश्व पृथ्वी दिवस पर 'कट्स' द्वारा ईकोमार्क की प्रभावी क्रियान्विति की मांग

'कट्स' द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रेल 2022 को जयपुर स्थित मदर अर्थ स्कल्पचर स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 'कट्स' ने ईकोमार्क की प्रभावशाली क्रियान्विति की मांग उठाई। यह एक वार्षिक आयोजन है, जिसे विश्वभर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है।

'कट्स' द्वारा उपभोक्ताओं को बहुत लम्बे समय से ईको-लेबलिंग (ईकोमार्क) के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की आसान पहचान के लिए 1991 में ईको लेबलिंग स्कीम को प्रारंभ किया था। भारत में ईकोमार्क के लिए प्रतीक (लोगो) के रूप में 'मिट्टी के मटके' को चुना गया है। यह एक प्रतीक चिन्ह (लोगो) के रूप में अपना पर्यावरणीय संदेश देता है। इसके संबंध में जागरूकता भी बहुत कम देखने को मिलती है। हमारी सरकारों और नीति निर्धारकों को ईकोमार्क स्कीम को व्यवहार में लाने और प्रचलित करने हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा कुछ चीजें हमें उपहार स्वरूप मिली है। प्रकृति ने हमें हवा, जल, धरती, नदियां, पहाड़, हरे-भरे वन और धरती के नीचे छिपी हुई खनिज सम्पदा धरोहर के रूप में हमारी सहायता के लिए प्रदान की है। मनुष्य अपनी मेहनत से धन कमा सकता है, लेकिन प्रकृति की धरोहर को अथक प्रयास करने के बाद भी बढ़ा नहीं सकता है। प्रकृति द्वारा दी गई ये सभी वस्तुएं सीमित हैं।

विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन इस बात के लिए चिंतन मनन का दिन है कि हम कैसे अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। इसी दिन लोग धरती की सुरक्षा से संबंधित अनेक बाहरी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे नए पेड़-पौधों को लगाना, सड़क किनारे का कचरा उठाना, कचरे का पुर्नचक्रण करना, ऊर्जा संरक्षण आदि कार्यक्रम किए जाते हैं और सभी वर्गों को इसके लिए जागरूक किया जाता है।

'कट्स' द्वारा 'प्रोस्कोप' परियोजना का शुभारम्भ

विकसित किए जाएंगे बारह जिलों में आदर्श जैविक ग्राम

''राज्य में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। किसानों को मानव जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक खेती करनी चाहिए। जैविक खेती में किसान अपनी लगन और मेहनत से अच्छा मुनाफा कमा सकता है।'' उक्त विचार 'प्रोस्कोप' परियोजना के शुभारम्भ के अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जगदीश पारीक ने अपने उद्बोधन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार व राजस्थान सरकार दोनों ही जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि परियोजना के तहत प्रदेश के बारह जिलों में आदर्श जैविक ग्राम विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2017 में जैविक कृषि नीति लागू की गई। वर्तमान बजट में घोषित राजस्थान जैविक खेती मिशन एवं जैविक कमोडिटी बोर्ड की स्थापना के निर्णय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक डॉ.ए.एस.बालोदा ने जैविक खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर स्थित दुर्गापुरा कृषि फार्म में लैबोरेटरी स्थापित की गई है। हनुमान मल ढाका, अतिरिक्त निदेशक , कृषि विभाग ने कहा कि जैविक उत्पादों की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों को जैविक खेती की ओर अग्रसर करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किसान सुरेन्द्र अवाना ने जैविक खेती में हुए नवाचारों के बारे में बताते हुए कहा कि खेती के साथ-साथ पशुपालन, प्रसंस्करण, समन्वित कृषि प्रणाली जैसी अन्य सहायक इकाइयों पर भी काम करना होगा।

कार्यक्रम के दौरान 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने परियोजना का परिचय दिया तथा राजदीप पारीक व अमित बाबू ने परियोजना की आगामी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। कुलदीप पंवार ने संस्था द्वारा संचालित 'फार्मर्स प्रोड्यूसर ओर्गेनाइजेशन' परियोजना के तहत की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों एवं परियोजना सहयोगियों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

किसान सम्मान निधि में घोटाला

प्रदेश के अलवर जिले के थानागाजी में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां के प्रशासन ने महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल व उत्तर प्रदेश के 43 हजार 537 अपात्र किसानों को पीएम सम्मान निधि के 29 करोड़ रुपए बांट दिए। खास बात यह है कि थानागाजी की आबादी ही 1.60 लाख है, जिनमें 30 हजार किसान है। लेकिन किसान सम्मान निधि 74 हजार किसानों को बांटी गई है।

इसके अलावा जिले की अन्य तहसीलों में भी अपात्र किसानों को करीब 39 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी आवेदनों की न तो जांच की गई और न ही पात्रता देखी गई। भौतिक सत्यापन भी जरूरी है, लेकिन नहीं किया गया। प्रदेशभर में जांच हो तो ऐसे और भी खुलासे हो सकते हैं।

(दै.भा., 10.06.22, 11.06.22)

भारी पड़ा गरीबों का निवाला छीनना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वितरित होने वाले गेहूं की पिछले वर्षों की सूचियों से जांच की गई थी। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग इन सूचियों में जुड़कर गरीबों के हक का निवाला छीन रहे थे। इनमें प्रदेश के 83 हजार स भी अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का भी खुलासा हुआ जो खाद्य सुरक्षा योजना का गैरवाजिब फायदा ले रहे थे।

इनमें से 66 हजार से भी ज्यादा सरकारी कर्मियों से 81 करोड़ 13 लाख रुपए से भी ज्यादा की वर्तमान बाजार दर से वसूली की जा चुकी है। गौरतलब है कि अभी भी 17 हजार 123 अधिकारी-कर्मचारी ऐसे हैं जो नोटिस के बाद भी उठाए गए राशन की कीमत जमा नहीं करवा रहे। अब विभाग पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है।

(रा.प., 10.05.22)

जल परिवहन में लाखों रुपए की बंदरबांट

जयपुर शहर जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों के जरिए जलापूर्ति में फर्जी ट्रिप दिखा कर लाखों रुपए का घपला किया जा रहा है। अलग-अलग सब डिविजन में तैनात जेईएन-एईएन की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के यह टैंकर खूब दौड़ लगा रहे हैं। टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है।

टैंकर ठेकेदार पहले कम रेट पर टैंकरों से जल परिवहन का टेंडर लेते है और फिर इंजीनियरों और जीपीएस फर्म के साथ मिल कर फर्जी ट्रिप बताकर लाखों रुपए हर महीने अपनी जेब में डालते हैं। मिलीभगत के इस खेल में प्रतिदिन 200 से 250 टैंकर ट्रिप फर्जी दिखाकर लाखों रुपए ठेकेदारों की जेब में जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट से नित नए खुलासे हो रहे हैं।

(रा.प., 03.04.22-07.04.22)

पंचायतें ठिकाने के लिए मोहताज

राज्य सरकार पंचायत पुर्नगठन के बाद बनीं नई पंचायतों को भूल बैठी है। पुर्नगठन के जरिए नवंबर 2019 में सरकार ने 1455 ग्राम पंचायतों को नए नाम तो दे दिए, लेकिन तकरीबन ढाई साल के बीतने के बाद 83 प्रतिशत पंचायतों को कामकाज के लिए कार्यालय तक नहीं दे पाई।

परिसीमन में कुल बनाई गई 1455 नई ग्राम पंचायतों में से पंचायत राज विभाग ने 1445 के लिए नए भवनों की आवश्यकता का आकलन किया था। लेकिन 235 पंचायतों के ही नए भवन बन पाए हैं। नई बनीं 57 पंचायत समितियों के हाल अभी भी खराब हैं। इनमें से एक भी पंचायत समिति का भवन बनकर पूरा नहीं हो पाया है।

(रा.प., 23.06.22)

रोड सेफ्टी फंड का जमकर दुरुपयोग

ओवरलोड वाहनों की मौके पर जांच करने के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में पोर्टेबल वेइंग मशीन खरीदने में बड़ा घोटाला सामने आया है। पहली गड़बड़ी ...जो मशीन 9 लाख रुपए में मिल रही थी उसे परिवहन अधिकारियों ने 16 लाख रुपए में खरीदा। इतना ही नहीं ताबड़तोड़ 29 करोड़ रुपए खर्च कर 198 मशीनें खरीद भी ली गईं।

दूसरी गड़बड़ी ... मशीन में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इस बारे में आरटीओ इंस्पेक्टर संबंधित डीटीओ और आरटीओ सबूत सहित शिकायत कर चुके हैं। कई मौके पर मशीन फेल हो चुकी है। ये मशीनें सड़क सुरक्षा पर खर्च होने वाले फंड से खरीदी जा रही हैं। इन सब के बाद भी अधिकारी 29 करोड़ की लागत से 198 मशीनें खरीद चुके हैं और 8 करोड़ रुपए से 53 मशीनें एमबीआर टेक्नोलॉजी खरीद की तैयारी में हैं।

(दै.भा., 31.05.22)

पीएम आवास योजना में घोटाला

शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के इलाके कामां-पहाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए करीब 1.28 करोड़ रुपए के घोटाले में सरकार ने अब कामां बीडीओ कौशल किशोर जैमन समेत 12 कर्मचारियों को निलंबित किया है। दरअसल, इस इलाके में एक ही मकान के अलग-अलग कई जगह फोटो लगाकर 698 मकान कागजों में बने हुए दिखाकर पैसा उठा लिया गया था।

लोक सभा सांसद रंजीता कोली ने यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया था। इसके बाद ही सरकार एक्शन में आई। सरकार ने गलत तरीके से उठाई गई राशि की रिकवरी के आदेश भी दिए हैं। यह मामला और भी बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना में पैसा इसलिए दिया, ताकि गरीब परिवारों को पक्की छत मिल सके।

(दै.भा., 07.04.22)

किसानों की कर्ज माफी में भी घपला

केंद्रीय सहकारी बैंक भरतपुर में करीब 26 करोड़ रुपए के गबन की जांच के दौरान एक और घपला सामने आया। यह घपला किसानों की कर्ज माफी के बदले सरकार की ओर से दी गई राशि में किया गया। घपला सीसीबी की कामां, डीग व कलेक्ट्रेट ब्रांच में हुआ।

कर्ज माफी के बदले दिए गए करीब 26 करोड़ 96 लाख रुपए बैंक अधिकारियों ने ऋण खातों में जमा कराने के बजाय बचत खातों में जमा कर हड़प लिए। खुलासे के बाद बैंक के चार अधिकारियों को निलम्बित किया जा चुका है। सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत मामले की विस्तृत जांच का निर्णय लिया गया है। घपले में बैंक अधिकारियों के साथ कई सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की भी भूमिका नजर आ रही है, जो जांच के बाद स्पष्ट होगी।

(रा.प., 07.06.22)

दाम पूरे पर सुविधा अधूरी

पानी और बिजली मूलभूत सुविधाओं का मुख्य हिस्सा है। प्रदेश में हर दिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन उपलब्धता औसतन 100 लीटर भी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तो 30 लीटर प्रति व्यक्ति तक ही है। इसी तरह बिजली की प्रति व्यक्ति औसतन खपत 1200 यूनिट से भी कम है, जबकि देश में यह आंकड़ा 1300 यूनिट से ज्यादा है। बिजली सप्लाई की निर्बाध आपूर्ति नहीं होने से यह हालात बने हैं।

दोनों ही मामलों में गांवों के हालात तो और भी दयनीय है। पानी की कमी, नदियों को जोड़ने के काम में राजनीति आड़े आ रही है और बिजली उत्पादन में कोयला संकट आड़े आ रहा है। जल जीवन जैसे प्रोजेक्ट तक में राजस्थान देश में पीछे है। पानी की कम उपलब्धता के कारण प्रदेश के महज 1024 गांव ही ऐसे हैं, जहां हर घर पेयजल कनेक्शन जारी हो सके हैं *(रा.प., 26.04.22)*

मुफ्त की रेवड़ियों से राज्य कंगाली पर

देश में कोरोना महामारी के बाद कई राज्यों ने जनता को सब्सिडी और मुफ्त योजनाओं की रेवड़ियां बांटकर खुद को कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के बीच वोट बटोरने वाली योजनाओं पर अब बहस छिड़ गई है।

पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य कर्ज के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। अगर इन राज्यों की केंद्र सरकार मदद नहीं करे तो हालात श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज तभी फायदेमंद है जब रकम का इस्तेमाल आर्थिक संसाधन पैदा करने में हो। राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने और मुफ्त की योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। इससे सरकार को लोकप्रियता तो मिल रही है, लेकिन आमदनी नहीं हो रही।

(रा.प., 23.05.22)

छीन रहे बच्चियों के हक का कन्यादान

बीपीएल परिवारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सरकार ने इस मामले में दो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी समेत तीन लोगों को निलम्बित किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस योजना में बीपीएल, निराश्रित, निर्धन, आरक्षित व अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं की शादी में 21 से 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।

जैसलमेर में तैनाती के दौरान सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भवानी सिंह चारण व हेमंत सैनी तथा एक कर्मचारी पर घोटाला करने के आरोप लगे हैं। शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा को जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर निदेशक ओ.पी. बुनकर ने सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भवानी सिंह चारण व हेमंत सैनी तथा एक कार्मिक को निलंबित कर दिया है। *(रा.प., 08.05.22)*

आधार बनाने में किया निराधार खर्च

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 5 साल तक के बच्चों को आधार कार्ड जारी करने और इसकी प्रक्रिया पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। कैग ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, सरकार ने पांच साल तक के बच्चों के आधार कार्ड पर 310 करोड़ रुपए फिजूल ही खर्च कर दिए। क्योंकि, यूआईडीएआई इन बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए उनका बायोमैट्रिक रिकॉर्ड नहीं लेता है, जो आधार कार्ड जारी करने का मूल प्रावधान है।

मार्च 2019 तक 11.48 करोड़ बाल आधार कार्ड बनाए गए। इसके लिए रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसियों को 27 रुपए प्रति बच्चे की दर से 310 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। एक नवंबर 2019 को बच्चों के बायोमैट्रिक अपडेट नहीं होने से 40.91 लाख आधार निष्क्रिय करने पड़े। कैग के मुताबिक 2010 से नवंबर 2019 तक यूआईडीएआई ने 4.75 लाख डुप्लीकेट आधार कार्ड रद्द किए, यानी रोजाना 145 कार्ड। कैग ने यह भी पाया कि 2018-19 के दौरान 3.04 करोड़ बायोमैट्रिक अपडेट में लोगों ने 73 प्रतिशत से ज्यादा अपडेट फीस जमा करके कराया। *(दै.भा., 07.04.22)*

दवा खरीद में 30 करोड़ का घोटाला

पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना में दवा खरीद में 29.48 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने वाले 27 अफसरों व कर्मचारियों को उनके दोबारा जांच के आवेदन पर मुख्यमंत्री के वित्त विभाग ने ही बिना दस्तावेज व पत्रावलियां देखे, क्लीनचिट दे दी। सीएमओ व मुख्य सचिव 2 बार चार्जशीट देने के आदेश दे चुके हैं।

इनमें से 8 अफसर तो रिटायर्ड हो चुके हैं। विधानसभा की जनलेखा समिति ने 2020 में व पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में बनी दो कमेटियों ने माना था कि अफसरों ने 2 निजी फर्मों को फायदा देने के लिए 637 प्रतिशत ऊंची दरों पर 54 करोड़ की दवाएं खरीदकर 30 करोड़ का घोटाला किया। जनवरी 2021 में अफसरों ने सीएमओ से आवेदन देकर दोबारा जांच की मांग की थी। जिसके बाद पशुपालन विभाग शासन सचिव ने नई कमेटी बनाई लेकिन कार्रवाई को लंबित रखने की मंशा से नजरअंदाज किया गया। *(दै.भा., 21.06.22)*

एक साल में बैंकों में हुए 77,654 घोटाले

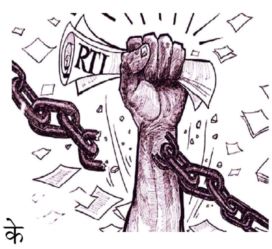

देश के विभिन्न बैंकों में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 77,654 घोटाले हुए। इन घोटालों में 60,530 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। यह खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत दी गई जानकारी में किया है।

यह आरटीआई अभय कोलारकर ने लगाई थी। आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष हर दिन 212 घोटाले हुए। रोजाना औसतन 165 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई। घोटालों में बैंकों के 2,729 कर्मचारी संलिप्त पाए गए। इन कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और रिकवरी हुई या नहीं इस बारे में आरबीआई ने जानकारी नहीं दी। बैंकों के खिलाफ आरबीआई को सर्वाधिक 750 शिकायतें हर दिन बैंकिंग अंबुड्समन स्कीम 2006 के तहत मिली। उपभोक्ता जागरूकता व संरक्षण प्रकोष्ठ को अप्रेल 2021 से मार्च 2022 के बीच 23 हजार से ज्यादा शिकायतें मिलीं। *(रा.प., 08.06.22)*

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

'कट्स' इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन्स ईकॉनौमिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड पेसिफिक का सदस्य बना

यूनाइटेड नेशन्स ईकॉनौमिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड पेसिफिक ने 'कट्स' इंटरनेशनल को साउथ एशिया सतत् विकास लक्ष्यों के नेटवर्क में सिविल सोसायटी के रूप में नियुक्त किया है। साउथ एशिया सतत् विकास लक्ष्यों का नेटवर्क सरकारी एजेन्सियों, थिंक टैंक और अन्य संस्थाओं का संगठन है। इस नेटवर्क के एशियाई देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका सदस्य हैं। जो कि साउथ एशिया सतत् विकास लक्ष्यों को आपस में साझा करने एवं उप-क्षेत्रिय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।

सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रहे बेहतर कार्यों एवं दक्षिण एशिया में सरकारी एजेन्सियों, थिंक टैंक, सी.एस.ओ. और अन्य भागीदारों को शामिल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस नेटवर्क से क्षेत्र सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन एवं कार्यवाही में प्रगति होने की उम्मीद की जा सकती है।

'कट्स' इंटरनेशनल एक वैश्विक स्तर का सार्वजनिक नीति, अनुसंधान और उपभोक्ता पैरवी संगठन है जो सतत् उपभोग और सतत् विकास के क्षेत्र में पिछले दो दशकों से कार्य कर रहा है। वर्ष 2019-2021 के दौरान 'कट्स' द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के लक्ष्य-12 पर एक अध्ययन किया गया, जिसका विषय 'सतत् उपभोग एवं उत्पादन-उपभोक्ता परिप्रेक्ष्य' था। सतत् विकास लक्ष्य -12 में उपभोक्ता के नजरिये से किया गया यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। वर्तमान में 'कट्स' बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर पहल (विमस्टेक) के क्षेत्र में एस.सी.पी. के विश्लेषण के लिए अध्ययन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि इस नेटवर्क में 'कट्स' की सदस्यता से सतत् उपभोग पर कार्य को विस्तार देने में मदद मिलेगी और दक्षिण-पश्चिम एशिया में समावेशी और सतत् विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। जॉर्ज ने आगे कहा कि एक उपभोक्ता संगठन होने के नाते, उपभोक्ता के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को कायम रखते हुए और सतत् उपभोग के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव होने के कारण 'कट्स' को इसकी सदस्यता के योग्य माना गया।

खुशखबरः भारत में घट रही है गरीबी

भारत में चरम गरीबी में 2011 के मुकाबले 2019 में 12.3 फीसदी की कमी आई है। गरीबी का आंकड़ा 2011 में 22.5 फीसदी था जो 2019 में घटकर 10.2 फीसदी हो गया। गरीबी में ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से तेज गिरावट आई है। यह खुलासा विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में किया गया है। वर्किंग पेपर में यह भी खुलासा किया गया है कि यह हालात लागू की गई योजनाओं से बदले हैं।

वर्किंग पेपर के मुताबिक छोटे आकार की जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया है। इन किसानों की वास्तविक आय में 10 प्रतिशत सालाना और बड़ी जोत के किसानों की सालाना आय में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पेपर संयुक्त रूप से अर्थशास्त्री सुतीर्थ सिन्हा रॉय और रॉय वैन डेर वेइड ने लिखा है। विश्व बैंक नीति शोध कार्य पत्रों का उद्देश्य विकास पर विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना और शोध के नतीजों को शीघ्रता से प्रसारित करना है। *(रा.प., 18.04.22)*

कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए मदद

कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत मदद जारी की है। पिछले साल शुरू की गई इस योजना का मकसद ऐसे बच्चों की मदद करना है जिन्होंने कोरोना के कारण 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच माता-पिता या अभिभावक को खो दिया हो।

योजना के तहत इन बच्चों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर माह चार हजार रुपए दिए जाएंगे। इन्हें पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स के लिए एजूकेशन लोन की सुविधा मिलेगी और 23 साल की उम्र होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कराया जा चुका है। सरकार द्वारा कॉपी-किताब, यूनिफार्म जैसे खर्च भी उठाए जाएंगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने पर हर महीने स्टाइपंड मिलेगा। *(रा.प.,31.05.22)*

दुनिया अपनाए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली-मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन की शुरुआत करते हुए दुनिया को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का सुझाव दिया और कहा कि धरती को बचाने के लिए सभी को अपनाना होगा और अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे।

इस मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सहित विश्व बैंक के प्रमुख डेविस मलपास, वैश्विक स्तर पर सतत् विकास के लिए काम कर रही वैश्विक ऐजेंसियों के प्रतिनिधि, दुनिया के बड़ी संख्या में देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बिल गेट्स और डेविस मलपास ने पर्यावरण बचाने को लेकर पीएम मोदी के प्रयासों को सराहा और कहा कि दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती खड़ी है उससे निजात दिलाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। *(रा.प., 06.06.22)*

जन समर्थ पोर्टल किया लॉन्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय के 'आइकॉनिक वीक' समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय बैंकों और करेंसी को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाने की जरूरत है।

इस अवसर पर उन्होंने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए 'जन समर्थ पोर्टल' सहित सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला को लॉच किया। उन्होंने कहा कि जन केंद्रित शासन और सुशासन की दिशा में निरंतर प्रयास पिछले आठ वर्षों में केंद्र सरकार की खास पहचान रहे हैं। यह पोर्टल अलग-अलग 12 सरकारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। यह लाभार्थियों को ऋणदाता से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य एक मंच के जरिए योजनाओं तक पहुंच को डिजिटल माध्यमों से आसान बनाना है। नए जारी इन सिक्कों को दृष्टिबाधित भी पहचान सकेंगे।

(रा.प., 07.06.22)

केंद्र की तर्ज पर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज

केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। ये समूह राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, बजट घोषणाओं, जन घोषणा पत्र, अंतर्विभागीय मुद्दे, तत्कालीक मुद्दों की मॉनिटरिंग करेगा। मुख्य सचिव इस समूह की अध्यक्षता करेंगी। इसके लिए आयोजना विभाग ने सभी सचिवों के 6 समूह बनाए हैं।

आयोजना विभाग के सचिव नवीन जैन ने बताया कि ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन कर दिया गया है और जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू हैं वे इनकी बैठकों में रखें जाएंगे ताकि त्वरित समाधान मिल सके। समूह को कृषक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआरडी, विलेज डवलपमेंट, सामाजिक क्षेत्र, उद्योग तथा उद्यमिता के क्षेत्र में बांटा गया है। *(दै.भा., 05.04.22)*

रोजगार गारंटी योजना को मिली मंजूरी

प्रदेश के शहरी बेरोजगारों को शहर में ही रोजगार देने की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अकुशल श्रमिक को 259 रुपए, अर्द्धकुशल को 271 रुपए, कुशल श्रमिक को 283 रुपए तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।

सरकार ने इस योजना को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को अहम जिम्मेदारी दी है। योजना में ज्यादातर प्रस्तावित कार्य वही हैं जो स्थानीय निकाय करा रहे हैं। *(रा.प., 10.05.22)*

सहरिया जनजाति बन रही आत्मनिर्भर

कभी घास की रोटी खाने वाली सहरिया जनजाति के लोगों की स्थिति बदलने लगी है। राज्य के बारां और झालावाड़ जिलों में आदिवासी समूह के यह लोग प्राकृतिक जड़ी-बूंटियों और जंगलों से मिलने वाली आय के अलावा अब फलों और सब्जियों की खेती कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

यह संभव हो रहा है सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इनकी भलाई के लिए उठाए गए कदमों से। कृषक सहरिया परिवारों को अनुदान पर फलों और सब्जियों के बीज देकर खेती करवाई जा रही है। इससे उनका रुझान खेती की ओर बढ़ा है। जिससे उनके परिवारों की दशा सुधरी है। *(दै.भा., 30.05.22)*

कृषि क्षेत्र ने जख्मों पर लगाया मरहम

कोरोना से जब भारतीय अर्थव्यवस्था कराह रही थी और लाखों लोगों की नौकरियां छिन गई, ऐसे में कृषि क्षेत्र ने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया। पिछले तीन साल में कृषि क्षेत्र ने 1.10 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया, जबकि इस दौरान देश के अन्य सभी सेक्टर्स में 1.50 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां चली गईं। सीएमआइई के कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे के मुताबिक 2021-22 में कृषि क्षेत्र ने 45 लाख रोजगार सृजित किए।

रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर किसानों का सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। मार्च 2022 में किसानों का कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स 18.1 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष से अधिक है। जबकि इस दौरान देश के बिजनेस घरानों का सेंटीमेंट इंडेक्स केवल 16.1 रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में देश का कृषि क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ।

(रा.प., 23.04.22)

विदेशों में है हमारे स्टार्टअप्स की धाक

विदेशों में भी हमारे स्टार्टअप्स की धाक जमी है। जर्मनी, यूएस, ऑस्ट्रिया सरकार ने राजस्थान में स्टार्टअप्स पर काम कर रहे युवाओं को न्योता दिया है। तीनों देशों के दूतावास ने इन्हें भेजने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है। इसके पीछे मकसद है कि राजस्थान में तैयार स्टार्टअप्स को समझने और इससे अपग्रेड हुई तकनीक का फायदा लिया जा सके।

बताया जा रहा है कि सरकार इसे नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में शुरू करना चाह रही है। जिससे विदेशों के स्टार्टअप्स का फायदा प्रदेश को भी मिले। इसी आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआइटी) प्रक्रिया शुरू कर रहा है। डीओआइटी के संयुक्त निदेशक तपन कुमार के मुताबिक अभी राज्य में 2500 से भी ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। इस मामले में दिल्ली में भी चर्चा होगी। *(रा.प., 23.06.22)*

सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी

केंद्र सरकार ने एक जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, आयात, निर्यात और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिनका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर फेंक देते हैं, वह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।

सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि चिप्स के पैकेट और पान मसाले के पाउच पर पाबंदी को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। अगर कोई भी निर्माता इन उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे पर्यावरण एक्ट की धारा 15 के तहत 7 साल की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। *(दै.भा., 30.06.22)*

पांच साल में बच गए कई मामलों में 'आका'

राजस्थान के कई विभागों में बड़ी संख्या में भ्रष्ट अधिकारी जमे हुए हैं। एसीबी ने इन अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जाल में छोटी मछली (अधिनस्थ कर्मचारी) तो पकड़ी गई मगर बड़े आका पकड़े नहीं जा सके। इतना ही नहीं आकाओं के लिए रिश्वत वसूलने वाले छोटे कर्मचारी भी उनके खिलाफ मुंह खोलने से बचते रहे। ऐसे में बड़े अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके।

ऐसे में एसीबी ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर उनके मूल विभाग को विभागीय कार्रवाई के लिए 5 साल में 300 से ज्यादा फाइलें भेजी हुई है। गौर करने वाली बात है कि करीब 300 प्रकरणों से संबंधित विभागों ने मात्र 17 में ही एसीबी को कार्रवाई का जवाब भेजा है। ऐसे में सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रश्नचिन्ह लगता है। *(रा.प., 20.06.22)*

भ्रष्टाचार में पुलिस महकमा सबसे आगे

राजस्थान में घूसखोरी के मामलों में खाकी की हिस्सेदारी एक तिहाई रही है। यह सभी सरकारी महकमों पर दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामलों में सर्वाधिक है। लिहाजा रिश्वतखोरी में लिप्त पुलिसकर्मी लगातार एसीबी के निशाने पर रहे हैं। बीते वर्ष एसीबी ने 430 मामले ट्रैप किए, इनमें से 141 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 115 प्रकरण दर्ज किए गए।

एक साल में जयपुर व अलवर में 11-11, अजमेर, झुंझुनूं और भरतपुर में 8-8, कोटा, सवाई माधोपुर व टोंक में 7-7, उदयपुर, बूंदी बांसवाड़ा व दौसा में 6-6, जोधपुर व डूंगरपुर में 5-5, झालावाड़, गंगानगर, सिरोही व धौलपुर में 4-4, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, भिवाड़ी व बाड़मेर में 3-3, जालोर, चूरू, बारां, पाली, राजसमंद, सीकर व बीकानेर में 2-2, प्रतापगढ़ व नागौर में 1-1 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। *(रा.प., 19.06.22)*

सरकार ने लगाई एसीबी पर लगाम

राज्य सरकार ने अब केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ, जांच व अनुसंधान संबंधित चार साल पुराने प्रावधानों को अपना लिया है। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को कार्रवाई शुरू करने से पहले संबंधित प्रशासनिक विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

इससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के मामलों में प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सुरक्षा कवच मिल गया है। हालांकि ट्रैप के प्रकरणों में कार्रवाई या गिरफ्तारी के लिए यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17 (ए) की पालना के संबंध में जारी एसओपी को प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। गृह विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों (एसओपी) को अंतिम रूप दे दिया है। *(रा.प. एवं दै.भा., 28.05.22)*

मालखाने में कैद है करोड़ों रुपए

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पिछले 11 साल में 2594 ट्रैप कार्रवाई में 6000 से ज्यादा अफसरों को गिरफ्तार किया, जिनमें आईएएस, आईपीएस सहित जज तक शामिल हैं। लेकिन ट्रैप सहित आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग आदि मामलों में एसीबी 250 दोषियों को ही सजा दिला पाई है।

इनमें ज्यादातर पटवारी, शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समेत मंत्रालयिक कर्मचारी ही हैं। आरोपियों के स्टे ले आने और धीमी ट्रायल का असर उन नोटों पर भी पड़ता है जो ट्रैप कार्रवाई के दौरान बरामद होते हैं। नियमानुसार जब तक कोर्ट से केस का निस्तारण नहीं होता, संबंधित राशि एसीबी के मालखाने में ही जमा रहती है। एसीबी के मालखाने में अभी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पड़ी है, जो पिछले 10 वर्षों में ट्रैप के दौरान पकड़ी गई। क्योंकि इन नोटों पर चढ़ा है घूस का गुलाबी रंग और यह केस का निस्तारण होने पर ही परिवादियों को वापस मिल पाती है। *(दै.भा., 29.05.22)*

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की मुहिम

राजस्थान में एक तरफ रोज औसतन 2 अफसर-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। यह महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरा सबसे भ्रष्ट प्रदेश माना जाता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो-तीन बार कर्मचारियों व लोगों को पूछ चुके हैं कि क्या इस राज में काम के बदले पैसे मांगे जाते हैं, जो हां में जवाब मिल चुके। इसके बावजूद भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई।

अब राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की मुखिया सीएस उषा शर्मा इस लड़ाई को फ्रंट मोर्चे से लड़ने की पहल करने जा रहीं हैं। उन्होंने प्रदेश को करप्शन की दलदल से निकालने की दिशा में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को हर स्तर पर लागू करने की पहल की है। इसके लिए हर प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के प्रस्ताव में करप्शन मुक्त बनाने का मोड्यूल जोड़ा जाएगा। उनका कहना है कि हर विभाग को करप्शन के प्रति टॉलरेंस सिस्टम विकसित करना होगा। *(दै.भा., 20.06.22)*

राज्यपाल ने दी अधिकारियों को नसीहत

राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के आईएएस, आईपीएस व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि फाइलों की पेंडेंसी सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। फाइल अटकती है तो लोगों के मन में विचार आता है कि सुविधा शुल्क नहीं देंगे, तब तक काम नहीं होगा। अगर आपके आचार व व्यवहार में ऐसा होता है तो आप सुशासन नहीं दे सकते। यह भ्रष्टाचार जनित शासन माना जाएगा। अगर किसी की फाइल जल्दी निस्तारित होती है तो कहा जाता है अधिकारी बड़ा कार्यकुशल है।

राज्यपाल ने यह नसीयत लोकसेवा दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में देते हुए कहा कि बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा। यह प्रशासन की सबसे विचित्र स्थिति है। अगर किसी की फाइल आगे नहीं बढ़ती तो जन कल्याण के काम प्रभावित होते हैं । सभी अधिकारियों को इस पर गौर करना होगा। *(रा.प., 22.04.22)*

आपका हक डकार रहीं बिजली कंपनियां

प्रदेश में लोग विद्युत सप्लाई में व्यवधान (फॉल्ट, ट्रिपिंग), वोल्टेज की समस्या, खराब मीटर बदलने में देरी सहित 20 तरह की समस्याओं से परेशान हैं। जबकि बिजली सुविधा से जुड़े उपभोक्ताओं को इन बीस तरह के मामलों में हर्जाना लेने का हक है। लेकिन जागरूकता की कमी के चलते आपका हक बिजली कंपनियां डकार रहीं हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष में 42.99 लाख शिकायतें दर्ज हुईं। इसमें से करीब 1.28 लाख का निर्धारित समय पर समाधान ही नहीं हुआ। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को हर्जाना (क्षतिपूर्ति) देने का प्रावधान है, लेकिन डिस्कॉम इससे बच रहे हैं। हालात यह है कि केवल 8 उपभोक्ता हर्जाने के लिए आगे आए हैं। यह उपभोक्ता भी केवल जयपुर डिस्कॉम के हैं, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम का आंकड़ा तो शून्य है। उपभोक्ताओं को ऐसे प्रावधानों की जानकारी नहीं है और प्रावधान होने के बावजूद ना ही डिस्कॉम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। *(रा.प., 06.06.22)*

विद्युत शुल्क गणना के दोहरे मापदंड

प्रदेश की सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली बिल में विद्युत शुल्क व स्थायी शुल्क की गणना के दोहरे मापदंड बना रखे हैं। विद्युत शुल्क हर माह के बिजली खर्च की रीडिंग से वसूला जाता है, लेकिन स्थायी शुल्क की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के औसत उपभोग से तय करते हैं। अर्थात उपभोक्ता के पिछले वित्तीय साल में कुल बिजली उपभोग को जोड़ कर उसमें 12 का भाग देकर एक महीने का औसत उपभोग का स्लैब तय किया जाता है।

ऐसे में कम बिजली खर्च के बावजूद हाई स्लैब में ज्यादा स्थायी शुल्क वसूला जा रहा है। इससे कम बिजली खर्च करने वालों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। *(दै.भा., 17.04.22)*

किसान हो रहे हैं बिजली में आत्मनिर्भर

पिछले तीन-चार सालों से किसानों की जागरूकता ने उन्हें बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना दिया है। बीते एक साल में प्रदेशभर में 4352 किसानों ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत किसानों के खेतों में अब बिजली उत्पादन हो रहा है।

इस अभियान का असर अब दिखाई देने लगा है। इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। अब किसान अपने खेत में अपनी मर्जी से सिंचाई कर सकता है। उसे सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। खेत में बिजली उत्पादन होने से उन्हें बिल की राशि से छुटकारा मिलेगा। *(रा.प., 08.05.22)*

प्रदेश में विकसित होंगे दो सोलर पार्क

सौर ऊर्जा उत्पादन में सिरमौर राजस्थान में 2760 मेगावाट क्षमता के दो अलग-अलग सोलर पार्क विकसित होंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 1450 मेगावाट क्षमता तक के सोलर पार्क लगाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन निगम के प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता 810 मेगावाट से बढ़ाकर 1310 मेगावाट करने की अनुमति दी है।

इससे सूरज की रोशनी से ही प्रदेश में करीब 450 करोड़ यूनिट सालाना सस्ती बिजली का उत्पादन हो सकेगा। प्रदेश में बाहर से बिजली लेने के बजाय यहीं प्लांट लगाने से कई सहूलियत होंगी। अभी सोलर प्लांट पार्क से 2.17 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने के लिए करार हो चुके हैं। इसमें ट्रांसमिशन चार्ज और ऑपरेशन मेंटीनेंस व अन्य लागत अलग है। *(रा.प., 08.04.22)*

अक्षय ऊर्जा में हमारी गति रही धीमी

कोयले की कमी से जब देश में बिजली संकट खड़ा हुआ तो सोलर और विंड एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा की चर्चा ने फिर से जोर पकड़ा। भारत ने 2016 में ही लक्ष्य रखा था कि 2022 तक अक्षय ऊर्जा की क्षमता 1,75,000 मेगावाट तक पहुंचा दी जाए। हकीकत यह रही कि अप्रैल 2022 तक भारत में सोलर व विंड एनर्जी की कुल क्षमता 96,000 मेगावाट ही हो सकी।

क्लाईमेट रिस्क होरिजोन ने भी इस साल के बिजली संकट पर रिपोर्ट में लिखा है कि यदि भारत ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। अप्रैल माह में ही 8 दिन 10 करोड़ यूनिट प्रति दिन की कमी से देश के ज्यादातर हिस्सों में ज्यादा बिजली कट की खबरें आईं। *(दै.भा., 30.05.22)*

प्रदेश अक्षय ऊर्जा में पहले पायदान पर

देशभर में राजस्थान अब अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में पहले पायदान पर आ गया है। प्रदेश ने 17040.62 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित कर ली है। अभी तक राजस्थान सौर ऊर्जा में ही सिरमौर था, लेकिन अब विंड, बायोपावर ऊर्जा में भी आगे हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश को मार्च में 1877 मेगावाट अतिरिक्त सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर यह स्थान मिला है।

राजस्थान पिछले माह यानी फरवरी में चौथे पायदान पर था। अब एक माह में ही तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के नवीन व नवीकरणीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक माह में ही चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने वाले प्रदेशों में राजस्थान पहला राज्य है। *(रा.प., 18.04.22)*

अलग कनेक्शन लेने की मची होड़

प्रदेश में 50 यूनिट तक बिजली फ्री है, लेकिन 51 यूनिट होते ही 253 रुपए का बिल चुकाना होता है। ऐसे में फ्री बिजली लेने के लिए उपभोक्ता अब एक ही मकान में बेटे-पत्नी, बहु व भाई को अलग बताकर नए कनेक्शन ले रहे हैं ताकि बिजली का बिल न चुकाना पड़े। ढाई महीने में जयपुर जिले में ही करीब 1500 मकानों में दोहरे कनेक्शन हुए हैं।

जिन परिवारों में हर महीने बिजली बिल पहले 100 से 125 यूनिट आता था, उन परिवारों में दूसरा बिजली कनेक्शन लेने की होड़ मची है। लोगों द्वारा नया कनेक्शन लेने के लिए परिवार का बंटवारा होने, बेटे व बहु के अलग रहने, पति से मनमुटाव होने जैसे बहाने बनाए जा रहे हैं। जयपुर शहर में घोषणा के बाद से अब हर महीने करीब साढ़े तीन हजार बिजली कनेक्शन हो रहे हैं, जब कि पिछले वित्तीय वर्ष में औसतन हर माह तीन हजार कनेक्शन होते थें। *(दै.भा., 25.06.22)*

चारदीवारी में बदलेगी पाइपलाइन

जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र में पेयजल सप्लाई की पुरानी पाइपलाइनें व नल कनेक्शन बदले जाएंगे। इस पर जलदाय विभाग 380 करोड़ रुपए खर्च करेगा। चारदीवारी की अधिकांश चौकड़ियों में पुरानी व जर्जर पाइपलाइन के कारण दूषित पानी आने व कम प्रेशर की लगातार शिकायतें आती रहती हैं।

जलदाय मंत्री महेश जोशी की अध्यक्षता में हुई पॉलिसी प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में इसको मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जलजीवन मिशन की 45 पेयजल स्कीम का भी अनुमोदन हुआ है। इस पर 627 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर जिले में स्वच्छ जलाशयों के निर्माण, स्काडा सिस्टम सहित शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए अन्य शहरों में भी कार्ययोजना अनुसार काम कराए जाएंगे। *(दै.भा. एवं रा.प., 29.06.22)*

पानी पाताल मेंः रीत चुके 203 ब्लॉक

गिरते भू-जल स्तर के मामले में राजस्थान देश में टॉप पांच राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 295 में से 203 ब्लॉक डार्क जोन में है। इनमें सर्वाधिक अलवर के 14, नागौर, भीलवाड़ा और चितौड़गढ़ के 12-12 और अजमेर के 9 ब्लॉक सूख चुके हैं। पिछले 10 सालों में भू-जल 59 प्रतिशत तक गिरा है।

वर्ष 2013 में 164 डार्कजोन थे, जो 2021 में 203 तक पहुंच गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के 2011 से 2021 तक के आंकड़ों से यह निकल कर सामने आया है। प्रदेश की करीब एक करोड़ की आबादी पानी की किल्लत झेल रही है। सर्वाधिक गिरावट झुंझुनूं, सिरोही, अलवर, सीकर और दौसा में आई है। पानी बचाओ... यह सिर्फ स्लोगन नहीं, अगली पीढ़ी को बचाने का अकेला मंत्र है। हम पानी बना नहीं सकते, बचा जरूर सकते हैं। *(दै.भा., 14.05.22)*

भू-जल नीचे गया तो खोज ली लुप्त नहरें

जयपुर शहर से 25 किलो मीटर दूर नेवटा बांध के आस-पास के गांवों में ग्राउंड वाटर नीचे गया तो किसानों ने सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ मिलकर 40 साल पुरानी लुप्त तीन नहरें तलाश लीं। ये नहरें नेवटा बांध से जुड़ी थीं। किसानों की मांग पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने रेवन्यू रिकॉर्ड के माध्यम से डिमार्केशन करवा कर नहरों की सीमाएं निश्चित कर जब खुदाई की तो नहरों के अवशेष मिले।

तभी से लगातार खुदाई का काम चल रहा है। करीब 90 फीसदी काम पूरा भी हो चुका है। नरेगा फंड के तहत इन नहरों का खुदाई काम किया गया है। सितंबर-अक्टूबर में नहरों से पानी छोड़ा जाएगा। इससे 50 गांवों में करीब 700 एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। *(दै.भा., 01.06.22)*

शहरों की प्यास बुझाएगी अमृत योजना

राजस्थान में 2022 से 2026 तक अमृत योजना-पार्ट 2 के तहत एक साथ 3530 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतनी धनराशि एक ही मिशन में अब तक नहीं मिली। अमृत-2 के फंड से 215 शहरी निकायों, नगर निगम, पालिका और परिषदों में नल कनेक्शन, पेयजल लाइन बिछाने, पुरानी लाइन बदलने के काम होंगे, जिससे जनता को बिना लीकेज साफ पानी मिल सकेगा।

इनकी डीपीआर जलदाय विभाग एक माह में पूरी करेगा। फिर इसे केंद्र को भेजेंगे। जैसे गांवों के लिए जल जीवन मिशन है वही काम शहरों में अमृत-2 के तहत होगा। इसके अलावा अमृत-2 में चुने हुए 29 में से 26 जिलों में अधूरी पड़ी सीवर के काम को 100 फीसदी पूरा करने के काम होंगे। ये 241 काम रुडसिको के माध्यम से 2026 तक पूरे करवाए जाएंगे। *(दै.भा., 10.04.22)*

मनरेगा के तहत बनेंगे 'अमृत सरोवर'

भविष्य में संभावित जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में मनरेगा के तहत एक-एक एकड़ भूमि में 75 अमृत सरोवर बनेंगे। योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 व देश में 50 हजार अमृत सरोवर का निर्माण होगा।

इसके लिए सिंचाई विभाग को जमीन चिति करने का जिम्मा सौंपा गया है। ग्रामीण इलाकों में एक एकड़ भूमि पर लगभग 10 हजार क्यूबिक मीटर भंडारण क्षमता के आधुनिक तकनीक से यह जलाशय विकसित किए जाएंगे। इससे पानी का संरक्षण होगा और भूजल स्तर सुधरेगा। निर्माण स्थल के आस-पास सघन वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। *(दै.भा., 11.05.22)*

पढ़ाई के बजाय लगा रहे पानी की दौड़

प्रदेश के 14440 गांव-ढाणी ऐसे है जहां बच्चे पढ़ाई के बजाय पानी के लिए दौड़ लगाने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2020 में इन शहर-कस्बों में अधिकतम 48 घंटे के अंतराल पर एक बार पानी देने के आदेश दिए थे। लेकिन 2 साल बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ।

प्रदेश में 17,918 करोड़ रुपए लागत के 27 मेगा प्रोजेक्ट पर 5 साल से काम चल रहा है लेकिन जनता तक पानी नहीं पहुंच पाया है। अब जल जीवन मिशन में 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर हर घर नल कनेक्शन का दावा है।

जलदाय मंत्री महेश जोशी का कहना है, जहां दिक्कत आ रही है वहां टैंकरों से सप्लाई दे रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में लापरवाही हो रही है वहां जिम्मेदारों पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी है। *(दै.भा., 14.06.22)*

जल शुल्क माफी योजना का मजाक

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 मार्च 2019 को 15 हजार लीटर पेयजल प्रति माह उपभोग पर पेयजल शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने बंद व खराब मीटर वाले नल से पानी उपभोग के माप को तय करने के मापदंड ही अव्यवहारिक बना दिए। अगर मीटर खराब है तो 4 तरह से औसत बिल की गणना कर जलदाय विभाग 20800 लीटर का उपभोग मानते हुए 153 रुपए का बिल देगा।

भले ही आप हर माह 15 हजार लीटर से कम पानी खर्च कर रहे हों। हैरत की बात है कि शहर में 4.65 लाख उपभोक्ताओं में से महज 31 हजार का जल शुल्क माफ हो रहा है। कारण 1.90 लाख कनेक्शनों के मीटर खराब हैं। ऐसे में विभाग औसत बिल की गणना मनमाने तरीके से कर रहा है। हालांकि अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गंभीरता से लिया है और इस लापरवाही पर जवाब मांगा है। *(दै.भा., 18.05.22, 24.05.22)*

महिलाओं को मिलेंगे मुफ्त स्मार्ट फोन

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल प्रदेश की 1.33 करोड़ महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन (मुफ्त इंटरनेट के साथ) देने की प्रक्रिया सितंबर माह से शुरू हो जाएगी। इसे सभी महिलाओं तक पहुंचाने में एक साल का समय लगेगा। इससे पहले स्मार्ट फोन जून माह मे देने की बात की गई थी।

स्मार्ट फोन चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा। इसके लिए जनाधार कार्ड होना जरूरी है। स्मार्ट फोन में दो सिम का विकल्प होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने 7500 करोड़ रुपए के इस टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। *(रा.प., 24.05.22)*

आंगनबाड़ीः पोषाहार से दूर नौनिहाल

राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में दाल, गेहूं व चावल की आपूर्ति ठीक से नहीं कर पा रही है। अधिकतर जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिसंबर के बाद से दाल की आपूर्ति बंद है, जबकि मार्च के बाद से गेहूं और चावल नहीं मिला। ऐसे में बच्चों, किशोरियों, धात्री व गर्भवती महिलाओं को पोषाहार नहीं मिल रहा।

हर महीने दिए जाने वाले पूरक पोषाहार की सप्लाई के लिए नेफेड को जिम्मेदारी दी गई है। नेफेड ने गेहूं, चावल व दाल की सप्लाई ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है, जो समय पर सप्लाई नहीं कर पा रही है। ऐसे में बच्चों व महिलाओं को पोषाहार नहीं मिल रहा है। उधर, इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने राज्य सरकार के स्तर पर वितरण स्थगित करने की बात कही। जबकि महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को पोषाहार आपूर्ति बाधित होने के पीछे के असली कारणों का ही पता नहीं है। *(रा.प., 22.06.22)*

स्वयं सहायता समूह होंगे आत्मनिर्भर

सरकार राजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित कर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। महिला समूहों के लिए अब महिला बैंक बनाएं जाएंगे। हर महिला समूहों को इन बैंकों के माध्यम से ऋण मिल सकेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने राजीविका परियोजना के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजित 'समूह संबल संवाद' कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सरकार महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम में जिलेभर के 20 ब्लॉक्स से करीब 12 हजार महिलाओं ने भाग लिया। *(दै.भा., 28.04.22)*

करोड़ों बच्चों का छूट गया घर

दुनियाभर में 3.65 करोड़ बच्चों का घर छूट गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार विभिन्न संकटों के चलते ये बच्चे अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। बच्चों के विस्थापन का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें 1.37 करोड़ बच्चे शरणार्थी और शरण चाहने वाले हैं। करीब 2.28 करोड़ बच्चे संघर्ष और हिंसा के चलते आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।

यूनिसेफ का कहना है, दुनियाभर में शरणार्थी आबादी बीते एक दशक में दोगुनी से ज्यादा हो गई है, जिसमें बच्चों की संख्या लगभग आधी है। बच्चे तस्करी, शोषण, हिंसा व दुर्व्यवहार झेल रहे हैं। दुनियाभर में मानव तस्करी पीड़ितों में बच्चों की संख्या 34 प्रतिशत है। इस 3.65 करोड़ के आंकड़े में वे बच्चे शामिल नहीं हैं जो जलवायु और पर्यावरणीय आपदाओं से विस्थापित हुए हैं। *(रा.प., 20.06.22)*

सीखेंगे खाना बर्बाद नहीं करने का पाठ

संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर व्यक्ति सालाना करीब 50 किलो भोजन बर्बाद कर देता है। इसे बचा कर लाखों जरूरतमंद लोगों की भूख मिटाई जा सकती है।

केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब स्कूली बच्चों को बचपन से ही खाने को बर्बाद नहीं करने का पाठ पढ़ाया जाए। स्कूल में बच्चों को बताया जाए कि अक्सर थाली में झूठा छोड़ दिए जाने वाले भोजन की क्या अहमियत हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में एक पाठ ऐसा जरूर बनाएं जिससे बच्चों को भोजन की बर्बादी न करने की अहमियत सिखाई जा सके। उदाहरण के तौर पर बच्चों को यह सिखाया जाए कि उतना ही डालो थाली में, जितनी हो भूख, ताकि बाकी बचा भोजन किसी जरूरतमंद की भूख को मिटा सके। *(दै.भा., 09.05.22)*

बच्चों में गहराया सीखने का संकट

दुनिया के निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बच्चों में सीखने का संकट गहराता जा रहा है। 10 साल की उम्र तक के 70 फीसदी बच्चे साधारण पाठ को भी पढ़ने और समझने में असमर्थ हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से भी यह समस्या बढ़ी है। भारत में भी 2017 से 2021 तक राष्ट्रीय मूल्यांकन के आधार पर 5वीं कक्षा के लिए औसत भाषा स्कोर 319 से घटकर 309 और औसत गणित स्कोर 310 से 284 रह गया।

कोविड-19 से पहले भी दुनिया सीखने के संकट से सामना कर रही थी। दक्षिण एशिया में 78 फीसदी बच्चे लर्निंग पावर्टी से प्रभावित है। उप-सहारा अफ्रीका में लर्निंग पावर्टी में वृद्धि कम रही, क्योंकि इस क्षेत्र में स्कूल कम समय के लिए बंद हुए थे। 'द स्टेट ऑफ ग्लोबल लर्निंग पावर्टी' 2022 की रिपोर्ट में मूल्यांकन के आधार पर यह खुलासा किया गया है। *(रा.प., 28.06.22)*

महिलाओं ने खोया अपना रोजगार

बीते पांच साल में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के सामने रोजगार की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। इस अंतराल में करीब सवा करोड़ महिलाओं ने अपना रोजगार खोया है। इसमें 25 लाख रोजगार इस साल जनवरी से अप्रैल माह के दौरान कम हुए हैं।

यह जानकारी देश में बेरोजगारी को लेकर सर्वे करने वाली एकमात्र संस्था सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस के अनुसार कामकाजी महिलाओं की संख्या घटने के तीन बड़े कारण हैं। समाज आज भी उन्हें बाहर काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। *(दै.भा., 24.05.22)*

सड़क सुरक्षा कानूनों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना आवश्यक
वाहन गति नियंत्रण के उपाय भी जरूरी-'कट्स'

राजस्थान में दिन प्रतिदिन यातायात प्रबंधन बहुत ही जटिल और कठिन होता जा रहा है। जटिल यातायात एवं खराब सड़कों के परिणामस्वरूप वर्ष 2021 में कुल 20,951 दुर्घटनाओं में 10,047 लोग मृत्यु का शिकार हुए वहीं 19,344 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए। उक्त तथ्य परिवहन विभाग की रिपोर्ट दर्शाती है। विषय विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2022 में भी राजस्थान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इन दुर्घटनाओं में कुल 25 से अधिक लोग मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। इनमें से एक-एक परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु की घटना बड़ी दुखद है।

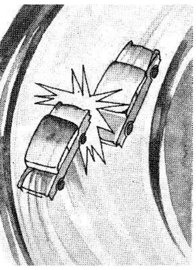

इन सभी परिस्थितियों के देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि एक उच्चाधिकार प्राप्त मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा समिति का भी नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सभी सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्यों, केबिनेट मंत्रियों की तत्काल बैठक बुलाई और मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त एवं सड़क सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विचार-विमर्श किया। उसमें सख्त निर्णय लिए गए, जिनमें यातायात के नियमों के उल्लंघनों की जांच करते समय अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए यातायात कानूनों को लागू करना शामिल है।

विशेष रूप से तेज गति से वाहन चलाने एवं नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही करना, राज्य में दोपहिया वाहन चालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक वाला हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित करना, ओवरलोडिंग वाहनों को नियंत्रित करना, मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना आदि। मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों में सख्ती करनी चाहिए। उचित परीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस दिए जाएं, साथ ही राजमार्ग सड़क सुरक्षा के लिए एक पेशेवर टॉस्क फोर्स का भी गठन राज्य में किए जाने पर जोर दिया गया। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

'कट्स' के निदेशक एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति के सदस्य,जॉर्ज चेरियन ने भी बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान में 82 प्रतिशत लोग सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का शिकार ओवरस्पीड की वजह से होते हैं। करीब 5 प्रतिशत लोग गलत साइड से वाहन चलाने, 13 प्रतिशत लोग नशे में वाहन चलाने, मोबाइल फोन के प्रयोग एवं अन्य कारणों से मृत्यु का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शीघ्र ही राजस्थान में एक मजबूत सड़क सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता है, जो कि कानूनी शक्तियों से परिपूर्ण हो। उन्होंने आगे कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु संबंधित विभागों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में बेहतर समन्वय होना चाहिए। उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए सड़क सुरक्षा हेतु एक विशेष समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

सड़क दुर्घटनाओं में कोरोना जितनी मौतें

परिवहन राज्य मंत्री बृजेन्द्र ओला ने कहा कि कोरोना से जितनी मौतें हुई, उतनी मौतें हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। राजस्थान में एक वर्ष में दस हजार लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। इसका बड़ा कारण है ओवरस्पीड। उन्होंने यह बात सड़क सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में कही।

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आयोजित विशेष सत्र में परिवहन एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ओवरस्पीडिंग को रोकने के लिए वीएलटीटी सिस्टम को स्वीकृति दी है। जल्द ही इसे वाहनों में लागू करेंगे। इससे वाहन की मॉनिटरिंग होगी कि उसने कितने समय में कितनी दूरी तय की है। यदि तेज रफ्तार से कम समय में दूरी तय कर ली तो जुर्माना लगेगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा, परिवहन आयुक्त केएस स्वामी व अन्य अधिकारी मैजूद रहे। *(रा.प., 08.05.22)*

भले लोग बनों और पाओ पुरस्कार

प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में 10 हजार से अधिक लोग जान गंवा देते हैं। ज्यादातर गंभीर घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलता और अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो जाती है। कई बार लोग इसलिए मदद नहीं करते कि कहीं कानूनी पचड़ों में न फंस जाएं।

ऐसे में प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू की गई थी। इसके तहत घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले लोगों को 5000 रुपए का पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सरकार ने ऐसे लोगों को 'भले लोग' नाम दिया है। ऐसे लोग किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ते और उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती। इस योजना का प्रचार-प्रसार होना जरूरी है ताकि 'भले लोग'आगे आएं। *(दै.भा., 29.04.22)*

रोड सेफ्टी एक्ट तैयार, जनता से मांगेंगे सुझाव

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी एक्ट तैयार कर लिया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर आमजन से सुझाव मांगे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दी।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारी परिवहन नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करें और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।

उन्होंने क हा कि वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एवं लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। एक भी ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट लिए नहीं बनें। ई-व्हीकल को बढ़ावा देने लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को और सीएनजी नीति को समयबद्ध लागू किया जाए। इस अवसर पर परिवहन राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला और मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। *(रा.प., 03.05.22)*

उपभोक्ता फैसले

कंपनी को भारी पड़ा किसान को घटिया बीज बेचना

जयपुर जिले की आमेर तहसील निवासी किसान भगवान सहाय दुसाद ने 13 अगस्त 2013 को यादव एग्रो एजेंसी, चौमूं के यहां से 4680 रुपए में गाजर के सन्ग्रो सीड्स के 500 ग्राम के 12 पैकेट खरीदे। विक्रेता ने उसे आश्वस्त किया कि गाजर के बीजों से फसल की पैदावार अच्छी होगी। लेकिन बीजों की गुणवत्ता सही नहीं होने की वजह से जो फसल मिलनी चाहिए थी, वह मिली नहीं। उन्होंने विक्रेता फर्म और बीज कंपनी से शिकायत भी की लेकिन जवाब नहीं मिला। भगवान सहाय ने बीज विक्रेता फर्म और बीज कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर (प्रथम) में परिवाद दर्ज कराया।

आयोग में मामले की सुनवाई पर बीज विक्रेता ने किसान का खेत अम्लीय होने और बीज कंपनी ने बीजों की बुआई तय समय पर नहीं करने जैसी कई दलीलें दी। लेकिन आयोग ने उनकी दलीलों को सही नहीं माना और कहा कि जांच रिपोर्ट के अनुसार बीज निम्न गुणवता के थे, इससे किसान को नुकसान हुआ है। आयोग ने बीज कंपनी सन्ग्रो सीड्स, नई दिल्ली को सेवा में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस का दोषी माना और आदेश दिया कि वह किसान भगवान सहाय को एक लाख रुपए बतौर हर्जाना दें। साथ ही हर्जाना राशि में से 50 हजार रुपए पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9 फीसदी ब्याज भी अदा करें। *(दै.भा., 07.06.22)*

बैंक ग्राहक को गिरवी रखे जेवरात वापस लौटाए

बैंक से गोल्ड ऋण लेने के मामले में उपभोक्ता से बैंक के विवाद पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है। मामले के अनुसार एस.लोगनाथन ने तमिलनाडू स्थित त्रीची क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक में जेवरात गिरवी रख कर ऋण लिया था। बैंक ने उनके किसी धोखाधड़ी के केस के आधार पर उनसे ऋण राशि की बकाया राशि लेने से इन्कार कर दिया और गिरवी जेवरात नहीं लौटाए। उन्होंने उपभोक्ता राज्य आयोग में मामला दर्ज कराया, जिसमें राज्य आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया। राज्य आयोग के फैसले के खिलाफ बैंक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में याचिका दर्ज कराई।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने धनलक्ष्मी बैंक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी ग्राहक पर कोई धोखाधड़ी के केस के आधार पर उससे गोल्ड ऋण की बकाया राशि लेने से इन्कार करना और जेवरात वापस लौटाने से मना करना गैरकानूनी है। राष्ट्रीय आयोग ने धनलक्ष्मी बैंक को आदेश दिया कि वह राज्य आयोग के फैसले के अनुसार अपने ग्राहक से बकाया ऋण राशि व ब्याज ले और उसके गिरवी जेवरात उन्हें वापस करें। साथ ही बैंक की वजह से उपभोक्ता एस.लोकनाथन को हुई मानसिक परेशानी की एवज में उन्हें 50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर भी अदा करें। *(दै.भा., 08.04.22)*

नुकसानदेह खाद्य पदार्थों के पैकेट पर सीधी चेतावनी लिखा जाना आवश्यक

गंभीर बीमारियां पैदा कर रही खाने-पीने की नुकसानदेह चीजों के पैकेट पर ऊपर की ओर ही चेतावनी (एफओपीएल) की व्यवस्था को अब एम्स के ताजा अध्ययन में भी जरूरी माना गया है।

अध्ययन में पाया गया है कि जिन चीजों में वसा, नमक या चीनी की मात्रा ज्यादा हो उस पर चेतावनी के तौर पर लिखा जाए। हेल्थ स्टार रेटिंग जैसी व्यवस्था से लोग इस खतरे के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि, कंपनियां रेटिंग सिस्टम में अपने प्रोडक्ट को अच्छा साबित करने के लिए कई हथकंडे अपना सकती है। कई देशों में यह व्यवस्था लागू

अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और तुर्की समेत कई देशों में चेतावनी व्यवस्था को अपना लिया है। इन देशों में इसका लोक स्वास्थ्य पर फायदा भी दिखाई देने लगा है। दूसरी तरफ कंपनियां चाहती हैं कि वसा, नमक या चीनी की मात्रा अधिक होने की सूचना साफ तौर पर चेतावनी की तरह लिखे जाने की बजाय हेल्थ स्टार रेटिंग लागू की जाए। एम्स ऋषिकेश के अध्ययन में यह आकलन किया गया है कि ऐसी चेतावनी के लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी। अध्ययन में 87 फीसदी लोगों ने माना कि पैकेट पर साफ तौर पर लिखा हो कि इसमें कौनसी नुकसानदेह चीज बहुत ज्यादा है।

यह अध्ययन ऐसे समय पर आया है, जब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) पैकेटबंद खाद्य चीजों पर चेतावनी की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। एम्स दिल्ली में सामुदायिक मेडिसिन प्रोफेसर डॉ. संजय राय ने कहा, अध्ययन के बाद प्राधिकरण को यह व्यवस्था तुरंत लागू करनी चाहिए। इससे लाखों जानें बचाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी उपभोक्ताओं को राहत

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसलों के खिलाफ अब संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट में भी अपील दर्ज कराई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की डिविजन बेंच के एक फैसले में यह आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल है। इस नियम के तहत आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 25 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। इसके फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने और सुनवाई के लिए उपभोक्ताओं को दिल्ली जाना पड़ता था। अब इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो दिल्ली जाने-आने के खर्च से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते। *(दै.भा., 19.05.22)*

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैरोबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)